

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.  
(जीसीएमएस नं. 2023/302)

प्रकरण संख्या:- 42/2023

तारीख दायर:- 20/06/2023

निर्णय दिनांक:-27/10/2025

## उनवान

1. रेनू जैन पुत्री हाबुलाल जैन निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. लादूलाल पिता हाबुलाल जैन निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. वनिता कुमारी पुत्री हाबुलाल जैन निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सम्पतराज पिता हाबुलाल जैन निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

## प्रार्थीगण।

## बनाम

1. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द

## अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956  
:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीली का चौड़ा पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 30 खसरा संख्या 470 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़  
जिला-राजसमन्द (राज.)

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पीली का चौड़ा पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 30 खसरा संख्या 470 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



21/12/17  
(मोहम्मद अरिफ़ अहमद) R.A.S.  
जिला खसरा अधिकारी देवगढ़  
जिला राजसमन्द